THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI ABDUL GHAFOOR): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

*300. **श्री रामचन्द्र विकल:** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने परिवारों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दी जायेगी;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986 में कितनी धनराशि खर्च की जायेगी;

(ग) इस योजना में सुधार लाने हेतु प्रशासनिक मशीनरी को और मजबूत बनाने और योजना को सुचारू रूप से लागू करने की दिशा में क्या कोई कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 20 मिलियन परिवारों का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसमें छठी योजना के वे पुराने परिवार भी शामिल हैं जिन्हें पूरक सहायता दिये जाने की जरूरत है ।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985-86 के लिए कुल 407.36 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें केन्द्रीय अंश 205.93 करोड़ रुपये का है ।

(ग) और (घ) इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन को अधिक कारगर बनाने के लिए जो विभिन्न कदम उठाये गये हैं, उनका ब्यौरा मेज-पटल पर रखा गया है (**विवरण-I**) (नीचे देखिये)

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रशासकीय ढांचे की जांच करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की गई थी । इस समिति की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और इसकी जांच की जा रही है ।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए उठाये गये कदम:-

1. गरीबी की रेखा 6,400 रुपये की वार्षिक पारिवारिक आय पर निर्धारित की गई है ।

2. लाभार्थियों के चयन के अंतिम सीमा को बढ़ाकर प्रति परिवार वार्षिक आय 4,800 रुपये निर्धारित कर दी गई है । तथापि, 3500 रुपये तक की आय वाले सभी परिवारों को इससे अधिक आय वाले परिवारों से पहले शामिल किया जाना है ।

3. प्रति परिवार अधिक पूंजी निवेश देना जिसमें एक से अधिक योजनाएं शामिल हों ताकि नए लाभार्थियों को उनके निवेशों पर उचित लाभ मिल सके ।

4. छठी योजना के दौरान सहायता प्राप्त उन परिवारों को पूरक सहायता प्रदान करना जो उन कारणों से गरीबी की रेखा पार नहीं कर सके हैं जिनके लिए वे स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं ।

5. निधियों का आवंटन समानता की पद्धति को बदल कर निर्धनता में विविधता के आधार पर किया जाना है ।

6. लाभार्थियों के चयन में जन प्रतिनिधियों को और अधिक शामिल करना ।

7. इस कार्य हेतु जिला स्तर पर संस्थाओं का चयन करके अथवा जिला आपूर्ति और विपणन सोसायटियों की स्थापना करके सम्पर्कों को सुधारने के प्रयास करना ।

8. कार्यक्रम में 30 प्रतिशत तक महिला लाभार्थियों को शामिल करना ।

9. संयुक्त ग्रामीण प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी केन्द्रों को स्थापित करके प्रशिक्षण के प्रयासों का उपयुक्त समन्वय करने के लिए एक नई योजना प्रारम्भ करना । यह भारत सरकार के विचाराधीन है और मार्गदर्शिकाएं अलग से जारी की जाएगी ।

10. खण्ड, जिला और राज्य स्तरों पर आवश्यकता-अनुसार प्रशासनिक ढांचे को कारगर तथा मजबूत बनाना । ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान प्रशासनिक प्रबंधों की समीक्षा करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति भी नियुक्त की गई थी । इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसकी जांच की जा रही है ।

11. विशेषकर नीचे के स्तर पर बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार करना ।

12. लाभार्थियों में जागरूकता का अच्छा वातावरण तैयार करना और उनका उचित संगठन बनाना ।

13. ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम) सहित समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यन्वयन के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को अधिक से अधिक शामिल करना ताकि नये प्रकार की परिवारोन्मुख परियोजनाएं अधिक कारगर ढंग से कार्यान्वित की जा सकें ।

14. कार्यक्रम की निकट से मानिटारिंग करने के लिए प्रतिमाह 36 जिलों, 72 खण्डों और 10 नये लाभार्थियों और 10 पुराने लाभार्थियों और 10 पुराने लाभार्थियों जिन्होंने 2 वर्ष पहले सहायता प्राप्त की थी, के आधार पर समवर्ती मूल्यांकन की एक नई पद्धति अक्तूबर, 1985 से आरम्भ की गई है ।

Distribution of wheat under NREP in Rajasthan

1889. SHRI DHULESHWAR MEENA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item Captioned 'officials row hits Rajasthan relief work' appearing in the 'Financial Express' on the 31st January, 1986, if so, what are the details thereof;

(b) what is the quantity of wheat given by the Central Government to Rajasthan under the NREP to be distributed to the famine-hit persons engaged in the relief work and

(c) the type of work that is to be taken up under the National Rural Employment Programme?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BUTA SINGH): (a) Government has seen the News Item captioned 'Officials row hits Rajasthan relief work' appearing in Financial Express on 31-1-1986. The Government of Rajasthan have informed that the works relating to widening of State highways have not been taken up under NREP not because of any differences of opinion but because of the general State Policy of excluding the works relating to construction or widening of National or State highways etc. from the purview of NREP. Additional foodgrains given under NREP have been allowed to be utilised for relief works if the funds received by the State Government for scarcity relief are placed at the disposal of DRDAs of the scarcity affected areas provided that the funds are utilised in accordance with the NREP guidelines. As the works for construction or